फर्द अहकाम

अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

मनोरमा शर्मा बनाम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जनाना अस्पताल भरतपुर

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 49. सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.06.2022 | प्रार्थीया / अपीलान्ट मनोरमा शर्मा ए.एन.एम. नत्थीसिंह जी की कोठी के पीछे वकील कालौनी पुराना बयाना बस स्टैण्ड नीमदा गेट भरतपुर ने आर टी आई के तहत यह अपील प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जनाना अस्पताल भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।<br><br>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जनाना अस्पताल भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।<br><br>आर.टी.आई. एक्ट के तहत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित प्रिन्सीपल, मैडीकल कॉलेज भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार प्रिन्सीपल, मैडीकल कॉलेज भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।<br><br>जिला कलक्टर, भरतपुर (राज.) | 385<br>1/7/22 |